

हिमाचल प्रदेश
लोक निर्माण विभाग

सं० पी० डब्ल्यू ई०-94-82(मिश्रित)/26-ई०एस०-1

6891-6992

दिनांक 01/09/202

प्रेषक

प्रमुख अभियन्ता,
लो० नि० वि० शिमला-02।

प्रेषित

प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) हि० प्र० लो० नि० वि०,
समस्त मुख्य अभियन्ता, हि० प्र० लो० नि० वि०,
मुख्य वास्तुकार हि० प्र० लो० नि० वि०, शिमला/मण्डी,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता, (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) हि० प्र० लो० नि० वि०,
समस्त अधिशासी अभियन्ता, (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) हि० प्र० लो० नि० वि०,
समस्त भू-अर्जन अधिकारी हि० प्र० लो० नि० वि०,

विषय: सरकारी समारोह में उपहार स्वरूप फूल-गुलदस्ता, शाल,मफलर व टोपी भेंट किए जाने
बारे।

उपरोक्त विषय पर प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन) हि० प्र० सरकार से प्राप्त संख्या
जी० ए० डी०-ए (ए) 9-2/2008-लूज दिनांक 28.08.2023 की छायाप्रति आपको भेजते हुए मुझे यह
कहने का निर्देश हुआ है, कि सरकार द्वारा लिए गए उक्त निर्णय की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।
संलग्न: यथोपरि।

1
प्रस्तोता,
हि० प्र० लो० नि० वि०,
शिमला-02।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी) को विभागीय सूचना पोर्टल पर
उपलब्ध करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न: यथोपरि।

प्रस्तोता,
हि० प्र० लो० नि० वि०,
शिमला-02।

नई पावती/न+G

प्रेषक

संख्या: जी०.ए०.डी०-ए(ए)९-२/२००८-लूज
हिमाचल प्रदेश सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अनुभाग-क

प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-०२.

प्रेषित

1. समस्त प्रशासनिक सचिव
हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. महानिदेशक पुलिस, हि०प्र०, शिमला-०२.
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।
4. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।

य० अ०
29/8/23

29/8/23

दिनांक, शिमला-०२

28.08.2023

विषय:-

सरकारी समारोह में उपहार स्वरूप फूल-गुलदस्ता, शॉल, मफलर व टोपी भेंट किए जाने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि हाल ही में प्रदेश में भारी वर्षा होने के कारण आई प्राकृतिक आपदा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी समारोहों में उपहार स्वरूप भेंट किए जाने वाले फूल-गुलदस्ता, शॉल, मफलर व टोपी के चलन पर तुरन्त प्रभाव से दिनांक 31.10.2023 तक रोक लगाई जाए। सरकार द्वारा लिए गए उक्त निर्णय की सूचना अनुपालना हेतु गैर-सरकारी संस्थाओं को भी प्रेषित की जाए।

भवदीय,

(प्रवीण कुमार टाक)

संयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

क-पि

29/8/23

995-EC
29/8/2023